


कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

--: संशोधन आदेश ::--

इस कार्यालय द्वारा व्याख्याता स्कूल शिक्षा के विभिन्न आदेश जारी किये गये थे, में संबंधित कार्मिक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर कॉलम संख्या 5 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-


क्र स	नाम कार्मिक	विषय	मूल आदेश क्रमांक/दिनांक	जारी संशोधन जो किया जाना है
1	2	3	4	5
1	मीनाक्षी	भूगोल	शिविरा/मा/संस्था/सी-5/भूगोल / डीपीसी / 2019-20 / 1-394 दिनांक-23.06.2019	डीपीसी से पदोन्नति पदस्थापन आदेश दिनांक 23.06.2019 में क्रम संख्या 32 पर कॉलम नाम लोक सेवक में MINAKSHI के स्थान पर MEENAKSHI पढा जावे।
2	प्रकाश चन्द मीना	भूगोल	शिविरा/मा/संस्था/सी-5/भूगोल / डीपीसी / 2019-20 / 1-394 दिनांक-23.06.2019	डीपीसी से पदोन्नति पदस्थापन आदेश दिनांक 23.06.2019 में क्रम संख्या 267 पर कॉलम नाम लोक सेवक में PRAKASH CHANDRA MEENA के स्थान पर PRAKASH CHAND MEENA पढा जावे।
3	नवल सिंह	भूगोल	शिविरा/मा/संस्था/सी-5/भूगोल / डीपीसी / 2019-20 / 1-394 दिनांक-23.06.2019	डीपीसी से पदोन्नति पदस्थापन आदेश दिनांक 23.06.2019 में क्रम संख्या 226 पर कॉलम नाम लेवक सेवक में NAVAL SINGH के स्थान पर NAWAL SINGH पढा जावे।
4	विनोद कुमार वर्मा	भूगोल	शिविरा/मा/संस्था/सी-5/भूगोल / डीपीसी / 2019-20 / 1-394 दिनांक-23.06.2019	डीपीसी से पदोन्नति पदस्थापन आदेश दिनांक 23.06.2019 में क्रम संख्या 230 पर कॉलम नाम लोक सेवक में VINOD KUJMAR VARMA के स्थान पर VINOD KUMAR VERMA पढा जावे।
5	हरिराम	भूगोल	शिविरा/मा/संस्था/सी-5/भूगोल / डीपीसी / 2019-20 / 1-394 दिनांक-23.06.2019	डीपीसी से पदोन्नति पदस्थापन आदेश दिनांक 23.06.2019 में क्रम संख्या 179 पर कॉलम कार्यरत स्थान में रामावि. सेला बाड़मेर के स्थान पर राउमावि. सैला बाड़मेर पढा जावे।
6	सुशील कुमार	भूगोल	शिविरा-मा/माध्य/संस्था/सी-5 / भूगोल / डीपीसी / 2018-19 / 18 दिनांक-09.06.2018	डीपीसी से पदोन्नति पदस्थापन आदेश दिनांक 09.06.2018 में क्रम संख्या 523 पर कॉलम नाम लेवक सेवक में SUSHEEL KUMAR के स्थान पर SUSHIL KUMAR पढा जावे।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेंगी।


 संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
 बीकानेर
 दिनांक 18 / 11 / 19

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-5/संशोधन/18/1449
 प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) मा.शि./मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
5. संबंधित प्रधानाचार्य/संबंधित आशार्थी।
6. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


 संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान